

Single window for resolution of complaints against RBI regulated entities



Complaints not resolved within 30 days or not resolved satisfactorily by Banks/NBFCs/Credit Information Companies/Payment System Participants regulated by RBI, can be lodged with the RBI Ombudsman



Lodge complaints online at https://cms.rbi.org.in or by post to Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, Chandigarh - 160017



All complaints regarding deficiency in services covered, except those in the exclusion list



Track the status of your complaint on Complaint Management System (https://cms.rbi.org.in)



© Call **14448** for more information.

Timings: Weekdays except National Holidays:

- 8:00 AM to 10:00 PM for English and Hindi
- 9:30 AM to 5:15 PM for 10 Regional Languages (Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil and Telugu)





Issued in public interest by

भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in



For more details, visit https://rbikehtahai.rbi.org.in/ For feedback, write to rbikehtahai@rbi.org.in





रिज़र्व बैंक -एकीकृत लोकपाल योजना

शिकायत दर्ज करने के लिए

https://cms.rbi.org.in

पर जाएँ

आरबीआई विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए एकल सुविधा



30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण न होने या आरबीआई द्वारा विनियमित बैंकों/ एनबीएफ़सी/क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों/पेमेन्ट प्रणाली प्रतिभागियों द्वारा संतोषजनक निवारण न होने पर. आप उनकी शिकायत आरबीआई लोकपाल के समक्ष दर्ज कर सकते हैं



ऑनलाइन https://cms.rbi.org.in पर या डाक द्वारा केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ - 160017 पर शिकायत दर्ज़ करें



अपवर्जन सूची में उल्लिखित सेवाओं को छोडकर, अन्य सेवाओं में किमयों से संबंधित सभी शिकायतें शामिल हैं



अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति को शिकायत प्रबंधन प्रणाली (https://cms.rbi.org.in) पर देखें



अधिक जानकारी के लिए 14448 पर कॉल करें.

समय: कार्यदिवसों पर, राष्ट्रीय अवकाशों को छोडकर:

- हिंदी और अंग्रेजी के लिए सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
- 10 क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तेलुगू और तमिल) के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे तक





जनहित में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in

अधिक जानकारी के लिए, https://rbikehtahai.rbi.org.in/ पर जाएं फ़ीडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें